कार्यालयः–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. म0प्र0

–::: परिपत्र :::–

क्रमांकः–Q-46 **भोपाल, दिनांकः–18-04-2020**

विषय :– COVID-19 कोरोना वायरस राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक–Q-36, दिनॉक–14-04-2020 एवं परिपत्र क्रमांक–Q-45, दिनॉक–18-04-2020.

****

विषयांतर्गत लॉक–डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था हेतु संदर्भित परिपत्रों में दिये गये दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्नानुसार और निर्देश भी दिये जाते हैं ::–

सिविल न्यायालय, बैरसिया में वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा सुनवाई

1- सिविल न्यायालय, बैरसिया में अत्यावश्यक कार्य (रिमाण्ड व जमानत आवेदन आदि) की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा ही की जावेगी। अधिवक्ता व पक्षकार न्यायालय कक्षों में प्रवेश नहीं करेंगे।

2- अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों, सिविल न्यायालय, बैरसिया के अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई श्रीमती तृप्ति शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में एवं व्यवहार न्यायाधीश/जे0एम0एफ0सी0 न्यायालयों के अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई श्रीमती श्वेता तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 के न्यायालय कक्ष में बैठकर ड्यूटी न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जावेगी।

3- अधिवक्तागण सिविल न्यायालय, बैरसिया के परिसर में स्थित मध्यस्थता कक्ष में अस्थायी रूप से स्थापित किये गये वीडियो कांफ्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से ही अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

आवेदन के साथ लिखित तर्क प्रस्तुत करने की दशा में संबंधित को सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुपस्थित रहने पर आवेदन का न्यायोचित निराकरण किया जा सकेगा।

(A) अधिवक्ता अपना पक्ष अपने मोबाईल से वीडियो कांफ्रेसिंग से अपने कार्यालय से भी रख सकेंगे, बशर्ते उनके मोबाईल पर "Vidyo" App Installed हो।

(B) यदि वीडियो कांफ्रेसिंग से तर्क करने की अनुमति चाही गई है, तो अधिवक्ता द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर न्यायालय द्वारा Link Share कर कार्यवाही की जा सकेगी।

(C) "Vidyo" App Installed करने की प्रक्रिया (PDF/Video) से अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, बैरसिया को अवगत् करा दिया गया है, जो कि सभी अधिवक्ताओं को Video WhatsApp पर अवगत कर सकेंगे।

Scanned with CamScanner

<u>जिला मुख्यालय, भोपाल में न्यायालय भवन के बाहर स्थापित Mist Disinfection Tunnel का उपयोग</u>

4- COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिला मुख्यालय, भोपाल में न्यायालय भवन के मुख्य द्वार के बाहर Mist Disinfection Tunnel की स्थापना भी कर दी गई है। सभी न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण, पुलिसकर्मी व अनुमति प्राप्त सभी विद्वान अधिवक्तागण, पक्षकारगण व अन्य व्यक्ति उक्त टनल में स्वयं को सेनेटाईज़्ड करने के बाद ही न्यायालय भवन में प्रवेश करेंगे। उक्त टनल में प्रवेश करने के पूर्व बेसिन में साबुन से हाथ अवश्य धोवेंगे। टनल ऑटो सेन्सर्ड है और प्रवेश करते ही 10 सेकण्ड के लिये सेनेटाईज़र का छिड़काव होता है। टनल में प्रवेश करने के पूर्व सिर अवश्य ढंक लें और अपना मुख छत की ओर न करें व आंखों को सेनेटाईज़र से बचावें। छिड़काव बंद होने के बाद ही टनल से बाहर से निकलें। एक बार में एक व्यक्ति ही टनल में प्रवेश करे।

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
<u>भोपाल, म0प्र0</u>

क्रमांकः–Q-46 **भोपाल, दिनांकः–18-04-2020**

प्रतिलिपिः–

1– रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल/तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील–बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
3– समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।
4– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।
5– कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6– पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7– अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुविभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित्, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर भी परिपत्र की प्रतियां चस्पा की जावें।
9– अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा–भोपाल की ओर समस्त कर्मचारीगण को पालनार्थ सूचित किये जाने हेतु प्रेषित्।
10– संचालक, जन–सम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ, कि सभी दैनिक समाचार–पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कृष्ट करें।
11– प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे एवं सभी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित् करें।
12– जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

18/4/2020

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
<u>भोपाल, म0प्र0</u>

Scanned with CamScanner